कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना।

आदेश

02 नि./स्था. अनु. (प्रो.) (13) – 02/2011

वित्त विभाग, बिहार पटना के संकल्प संख्या 7566 दिनांक 14.07.2010 के द्वारा अधिसूचित रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना, 2010 के प्रावधानों तथा वित्त विभाग के संकल्प संख्या 2937 दिनांक 31.03.2011, संकल्प संख्या 3972 दिनांक 12.05.2016 तथा संकल्प संख्या 7577 दिनांक 23.09.2016 के तहत् सहकारिता विभाग के निदेशालय के अधीन कार्यालय परिचारी संवर्ग के निम्नांकित कार्यालय परिचारी को विभागीय स्क्रीनिंग समिति की दिनांक 25.01.2018 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही कंडिका–6 द्वारा की गई अनुशंसा के अनुसार दिनांक 01.01.2009 तक अथवा उसके बाद 10, 20 एवं 30 वर्ष की नियमित सेवा पूरी करने पर उनके नाम के समक्ष अंकित तिथि के प्रभाव से सम्बन्धित कॉलम में अंकित ग्रेड वेतन में प्रथम/द्वितीय/तृतीय वित्तीय उन्नयन का लाभ प्रदान करने की स्वीकृति दी जाती है :–

क्र. सं.	नाम	जन्म तिथि	नियुक्ति की तिथि	वित्तीय उन्नयन की तिथि/ग्रेड वेतन			अभ्युक्ति
				प्रथम	द्वितीय	तृतीय	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	स्व. कान्ति देवी	15.02.59	26.06.85	X	X	26.06.15 GP-2400/-	

2. उपरोक्त वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति के फलस्वरूप वेतन का निर्धारण वित्त विभाग के संकल्प संख्या 630 दिनांक 21.01.2010 के कंडिका–12 के अनुसार किया जायेगा।

3. वेतन निर्धारण के पूर्व इस तथ्य की जाँच कर ली जाएगी कि सम्बन्धित कार्यालय परिचारी की सेवा संपुष्ट है तथा वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति हेतु वांछित क्रमशः 10, 20 एवं 30 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर लिए हैं। यदि जाँच के क्रम में कोई त्रुटि/विसंगति प्रकाश में आती है तो त्रुटि निराकरण के उपरान्त ही वेतन निर्धारण किया जाएगा।

4. वेतन निर्धारण के पूर्व यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि कार्यालय परिचारी संवर्ग के संबंध में वित्त विभाग के संकल्प संख्या 3972 दिनांक 12.05.2016 तथा संकल्प संख्या 7577 दिनांक 23.09.2016 के अनुसार इनके वेतन के निर्धारण की कार्रवाई (यदि अनुमान्य हो) की जा चुकी है।

5. उपर्युक्त कर्मी के संबंध में भविष्य में किसी भी प्रकार की त्रुटि या पार्थक्य पायें जाने पर सम्बन्धित कर्मी को प्रदत्त वित्तीय उन्नयन योजना का लाभ रद्द/संशोधित कर दिया जाएगा तथा भुगतान की गई राशि की प्रतिपूर्ति/वसूली कर ली जाएगी जो सम्बन्धित कर्मी को स्वीकार्य होगा।

6. उपरोक्त आदेश में निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

30/1/18

(विकास रंजन प्रसाद)
सहायक निबंधक (अ.र.),
सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 1142 /पटना, दिनांक 30.01.18
02 नि./स्था. अनु. (प्रो.) (13) – 02/2011

प्रतिलिपि :– 1. महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
2. कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
3. प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–2 नि., 7 नि. एवं 01 नि./सम्बन्धित कार्यालय परिचारी के आश्रित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/1/18

सहायक निबंधक (अ.र.),
सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना।